न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

सेशन केस सं0 1697/2024

राज्य बनाम रंजीत सिंह

09.01.2025–

1. पत्रावली पेश हुयी, पुकार करायी गयी। अभियुक्त रंजीत सिंह जेरे हिरासत उपस्थित आया।
2. अभियुक्त की तरफ से उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन द्वारा मौखिक विरोध किया गया।
3. अभियुक्त की तरफ से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज की गयी है। घटना के दिन दिनांक 21.09.2024 को ही अभियुक्त द्वारा ही थाने पर घटना की सूचना दी गयी थी। मृतक की मृत्यु दम घुटने से बतायी गयी है, लेकिन दम घुटने के कोई भी अलामात मृतक के शरीर पर नहीं पाए गए हैं। स्वतंत्र साक्षियों के बयान शब्द–बशब्द एक जैसे ही विवेचक द्वारा अंकित किए गए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बयानों को नकल करके बार–बार लिखा गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या भी संकलित नहीं की गयी है जिससे अभियुक्त की संलिप्तता परिलक्षित होती हो। दौरान विवेचना अभियोजन के समर्थन मे साक्ष्य संकलित नही की गयी है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को 24.09.2024 को गिरफ्तार करना बताया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है। अभियुक्त स्वयं मे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है और उसकी शारीरिक अक्षमता 44 प्रतिशत है, यह स्थिति भी अभियोजन कथानक को संदेह की परिधि मे लाती है, क्योंकि अभियुक्त आरोपित अपराध को घटित करने की शारीरिक अवस्था मे ही नही है। यदि अभियोजन कथानक को सत्य मान भी लिया जाए तो भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध विरचित नहीं होता है। अभियुक्त का पूर्व इतिहास साफ सुथरा है, अतः अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित किया जाए।
4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि इस मामले मे पहले जांच हुयी है उसके बाद उप निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। शव परीक्षण आख्या मे दम घुटने के साथ–साथ मृतक के शरीर के विभिन्न स्थानों पर 12 जाहिरा चोटें पायी गयी है। अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ 21.09.2024 को मारपीट किए जाने की घटना के चश्मदीद साक्षी हैं। अभियुक्त द्वारा ही मृतक को मारपीट कर कमरे मे बंद कर दिया गया था जिसके बाद उसकी मृत्यु हुयी है। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, अतः उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
5. उभय पक्ष के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।
6. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक रोहित पुत्र रंजीत निवासी मकान नं0 315/4 काशीराम कालोनी रतनपुर, थाना पनकी, कानपुर नगर की मृत्यु की सूचना दिनांक 21.09.2024 को सुबह समय करीब 7 बजे थाने पर प्राप्त होने के फलस्वरूप मृतक रोहित का पंचायतनामा उ0नि0 यू0टी0 रामबाबू अनुरागी द्वारा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। इस प्रकरण की

जांच वादी/उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह द्वारा मौके पर जाकर की गयी तो ज्ञात हुआ कि मृतक रोहित की मृत्यु, मृतक व उसके पिता रंजीत के बीच वाद विवाद, झगड़ा फसाद व मारपीट के कारण हुयी है जिसकी पुष्टि गोपनीय जांच से भी हुयी है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच हेतु उपलब्ध करायी गयी जिसके अवलोकन से मृतक की मृत्यु दम घुटने (Strangulation) के कारण हुयी है। प्रकरण मे हत्या का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

7. शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतक रोहित के शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व की चोटें पायी गयी :–
    1. Contusion-5cmx3cm present on left side back of chest, 4cm below angle of right scapula.
    2. Contusion-9cmx5cm present on mid line back of chest, 15cm below C-7 cervical bone
    3. Contusion-5cmx5cm present on left side back of chest, 11cm below angle of left scapula
    4. Contusion- 13cmx9cm present on back right shoulder and right arm.
    5. Contusion-12cmx10cm present on right side lateral part neck just below right ear. On D/s hematoma present under the skin and muscles
    6. Contusion-10cmx5cm present on lateral part of left side of neck just below left ear. On D/s hematoma present under the skin and muscles.
    7. Abraded contusion- 10cmx1.5cm present on front of neck, 4cm below chin, 10cm above suprasternal notch.
    8. Contusion-3cmx2cm present on front of neck, just over thyroid cartilage, 6cm above Suprasternal notch
    9. Abraded Contusion- 2cmx1cm present on front of left side of chest just below clavicle
    10. Abraded contusion-1cmx1cm present on back of left elbow joint
    11. Contused swelling- 5cmx3cm present on right side of skull, 6cm above to right ear. On D/s Hematoma present under the skin and muscles
    12. Contused swelling- 6cmx4cm present on left side of skull, 5cm above left ear. On D/s hematoma present under the skin and muscles.
8. चिकित्सक की राय मे मृतक की मृत्यु गला घोटने से दम घुटने के कारण हुयी है।
9. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षी अविनाश गौतम, दिनेश गौतम, विशाल राजपूत व पुष्पेन्द्र प्रभाकर के बयान दर्ज किये गये हैं जिसमे यह अंकित है कि रंजीत का लड़का रोहित उम्र 22 वर्ष जो शराब पीने का आदी था, आये दिन शराब पीकर अपने घर पर आता था और परिवारवालों से गाली गलौज कर परेशान करता था। दिनांक 20/21.09.2024 की शाम को पड़ोस के रंजीत का लड़का रोहित शराब पीकर आया था और अपने पिता रंजीत के साथ गाली गलौज कर रहा था जिसके कारण रोहित व उसके पिता रंजीत के बीच काफी मारपीट हुयी थी, उसके पिता रंजीत द्वारा अपने बेटे रोहित के

साथ काफी मारपीट किया था जिसके कारण रोहित की मृत्यु हो गयी थी।

10. विवेचक द्वारा इस तथ्य की भी साक्ष्य संकलित की गयी कि अभियुक्त द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि दिनांक 21.09.2024 को उसका बेटा रोहित उम्र 22 वर्ष आटो चलाता था, रात को आटो चलाकर घर मे आकर सो गया, सुबह देखा तो उसका बेटा चारपाई पर मृत अवस्था मे पड़ा है। सूचना दे रहा है, विधिक कार्यवाही की जाए।
11. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा दिनांक 24.09.2024 को अभियुक्त की निशांदेही पर उसके कमरे से एक काले रंग की बेल्ट बरामद की गयी।
12. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के अध्ययन से घटनास्थल पर घटना के समय अभियुक्त और मृतक की उपस्थिति इस स्तर पर साक्ष्य से दर्शित हो रही है। स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य मे यह भी आया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गयी थी। समस्त परिस्थितियां एकमात्र अभियुक्त के दोषी होने की तरफ इशारा कर रही हैं।
13. धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा ऐसा आपराधिक मानव वध किया गया हो जो हत्या की कोटि मे नहीं आता और उक्त कृत्य से मृतक की मृत्यु हुयी हो। जबकि हत्या के अपराध के लिए यह प्रावधानित किया गया है कि जिस कृत्य से मृत्यु हुयी है वह कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा उक्त कृत्य शरीर पर ऐसी आघात कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे आक्रमणकारी जानता था कि उससे मृत्यु हो सकती है। यहां तक कि आक्रमणकारी द्वारा कारित चोट स्वयं मे सामान्य प्रक्रम मे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो अथवा व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य यह जानते हुए किया गया कि वह कृत्य इतना खतरनाक है कि प्रत्येक सम्भावना मे उससे मृत्यु संभव है।
14. अभियुक्त द्वारा की गयी मारपीट के कथनों से स्पष्ट है कि उक्त मारपीट जान से मारने के उद्देश्य से अथवा यह जानते हुए कि उक्त मारपीट के कृत्य से कारित चोटो के परिणाम स्वरूप मृत्यु सम्भाव्य है, हो सकती है। मारपीट अचानक जनित आक्रोश अथवा भावावेश मे किया जाना बचाव पक्ष का कथानक हो सकता है, परन्तु यह साक्ष्य व विचारण का विषय है।
15. अतः इस स्तर पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता का आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार है। उपरोक्त परिस्थिति मे अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है, तद्नुसार उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
16. अभियुक्त रंजीत सिंह के विरूद्ध 103(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप लगाए जाने हेतु पत्रावली पत्रावली दिनांक 15.01.2025 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश
कानपुर नगर।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2025.01.13 16:59:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court